

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।कार्यालय-संयुक्त सचिव
766
संख्या-232/26-ब0प्र0-2012-25(खा)/2009
दिनांक-5.6.12

लखनऊ : दिनांक-25 मई, 2012

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
विषय- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-35/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0-एस0सी0एस0पी0/2012-13 दिनांक 25.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित धनराशि (रु0 72.00 लाख (रु0 बहत्तर लाख मात्र) में से प्रथम चार माह लेखानुदान अवधि के लिए रु0 24.00 लाख (रु0 चौबीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फाट के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-11-231/12 दिनांक 16.12.2011 एवं शासकीय व्यय में नित्यव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुया संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों लिये विशेष घटक योजना-07-कौशल सुधार प्रशिक्षण-27- सक्षिडी के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20.3.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

5.6.12- संख्या-232(1)/26-ब0प्र0-2012-तदुदिनांक ।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- वित्त (व्यय-निर्धरण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-4
- 6- औद्योगिक विकास अनुभाग-3
- 7- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,
(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	धनराशि (लाख रु० में)	
		स्वीकृत धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	3.00	75
2	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	2.00	50
3	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	2.00	50
4	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	2.00	50
5	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.00	50
6	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद	3.00	75
7	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	3.00	75
8	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	2.00	50
9	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	2.50	75
10	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	2.50	75
	योग	24.00	625

(रु० चौबीस लाख मात्र)


(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव ।